न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 13/2011

उनवान

1. जगदीश पुत्र रामू दत्तक पुत्र भूरा
2. नन्छी देवी पत्नी स्व. भूरा

जाति जाट गोत्र ढिलान नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. हरनाथ पि0 भूरा जाति जाट गोत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर (फौत)
   - 1/1. कल्याण सहाय
   - 1/2. उमराव
   - 1/3. श्योदान
   - 1/4. हंसराज
   - 1/5. रामकुंवार
   - 1/6. मंजूदेवी

   } पि. हरनाथ जाट गोत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर
2. जगदीश पि0 भूरा जाति जाट गौत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर
3. रामनिवास पि0 भूरा जाति जाट गौत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर
4. कोटक महिन्द्रा बैंक लि. जयपुर, जिला जयपुर राजस्थान
5. तहसीलदार/उपपंजीयक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. पटवारी प0ह0 घासीपुरा तह शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

7. बद्रीप्रसाद पुत्र लक्ष्मण
8. कालूराम पुत्र रामू
9. मु0 सोनी देवी धर्मपत्नि स्व0 रामू

समस्त जाति जाट गोत्र ढिलान नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर टी एक्ट

उपस्थित :– श्री रामकिशोर यादव अधिवक्ता – वादीगण

निर्णय दिनांकः 10.9.2021

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम निठारा तहसील बैराठ हाल शाहपुरा स्थित यआराजी साबिक खसरा नम्बर 325 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 326 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 327 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 328 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा , 329 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा , 330/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा,, 432 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, कुल किता 7 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा जिसके आराजी हाल खसरा नम्बर 447 रकबा 0.22 है0, 454 रकबा 0.39 है0, 455 रकबा 0.13 है0, 462 रकबा 0.21 है0, 449 रकबा 0.11 है0, 450 रकबा 0.05है0, 480 रकबा 0.08है0, 451 रकबा 0.24 है0, 460 रकबा 0.13 है0, 461 रकबा 0.17 है0, 464 रकबा 0.10 है0, 439 रकबा 0.24 है0, 442 रकबा 0.18 है0, 452 रकबा 0.16 है0, 456 रकबा 0.08 है0, 440 रकबा 0.28 है0, 441 रकबा 0.19 है0, 445 रकबा 0.19 है0, 465 रकबा 0.24 है0, 446 रकबा 0.23 है0, 448 रकबा 0.21 है0, 453 रकबा 0.32 है0, 457 रकबा 0.09 है0, 458 रकबा 0.40 है0, 459 रकबा 0.16 है0, 466 रकबा 0.16 है0 कुल किता 26 रकबा 4.83 है0 बरामद हुए है, के हिस्सा 1/2 भाग पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग लक्ष्मण, भूरा व प्रभात पुत्रान मंगला कदीम से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। यह उनकी कब्जे काश्त की पैतृक भूमि है शेष 1/2 हिस्से की भूमि पर दीगर काश्तकार रामनाथ पुत्र सौना, भोरया पुत्र हरभगत व प्रभात पुत्र हरभगत बहिस्सा बराबर बराबर बजमाने जागिर से बहैसियत काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। तदानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2020–2023 में उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई थी। उसके बाद भी उक्त आराजी मुतवादिया पर सभी अपने अपने हिस्से के अनुसार आपसी सहमति से भेमि का नरस सरस के आधार पर बंटवारा करके पिछले 40–50 साल से अपने अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज रहकर काश्त करते रहे है। हाल सैटलमैन्ट में इसी अनुसार सब सहखातेदारो की आपसी सहमति से उक्त भूमि मुतवादिया के पर्चे खातेदारी सबके अलग अलग जारी किये गये।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी सं. 1 के दत्तक पिता व वादिया सं. 2 के पति भूरा पुत्र मंगला की मृत्यु होने पर उसके पर्चा खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बरान 458/0.40, 459/0.13 व 466/0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 की खातेदारी हस्तान्तरण का विरासत का नामान्तरकरण वादीगण के बजाये प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जिसकी दुरूस्ती करवाने व उसकी खातेदारी की घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। वादपत्र में वर्णित शेष भूमि आपसी सहमति से हुए बाहमी बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं तथा राजस्व रिकार्ड में उाने नाम खातेदारी दर्ज है, जिसका कोई विवाद नहीं है। बाहमी बंटवारा के उक्त भूमि से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही रहा है, इसलिए वादपत्र में उक्त खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।

2 वादी का दादा प्रभात पुत्र मंगल खातेदार चूंकि हाल सैटलमेन्ट के पूर्व ही लाओलाद फौत हो गया था, उसके हिस्से की जमीन उसके अन्य सगे भाई लिछमन रामू व भूरा के हक हिस्से में रही थी। लिछमन व उसके वारिसान के कब्ज काश्त व खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 440/0.48, 441/0.19, 448/0.19, 466/0.14 है0 कुल किता 4 रकबा 0.80 है0 व हाल खसरा नम्बरन 450/0.05 व 480/0.08 कुल किता 2 रकबा 0.13 है0 के हिस्सा 1/2 भाग की भूमि है, जिसकी खातेदारी तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 बद्रीप्रसाद पुत्र लक्ष्मण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वह ही काबिज काश्त है। लक्ष्मण के भाई रामू के हक हिस्से व कब्जे की भूमि के हाल खसरा नम्बर 446 रकबा 0.23 है0, 448 रकबा 0.21 है0, 453 रकबा 0.32 है0 व 457 रकबा 0.09 है0, कुल किता 4 रकबा 0.85 है0 है जो उसके वारिसान तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वे ही काबिज काश्त है। वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र मंगल के हक व हिस्से की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.13 है0, 458 रकबा 0.40 है0, 466 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 है जिसकी खातेदारी राजस्व अभिलेख में उसके नाम दर्ज हुई जिस पर वादीगण काबिज काश्त है, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाायत 3 के बुजुर्ग का नाम व वल्दियत भी भूरा पुत्र मंगला है वह भी फौत हो गया । राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के बुजुर्ग भूरा पुत्र. मंगला की मृत्यु के बाद उसका विरासत का नामान्तकरण सहवन से वादीगण के बजाय प्रतिवादी सं0 1लगा03 व उनकी माता दाखा के नाम दर्ज कर स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज कर दिया , जबकि उनका गोत्र लाम्बा है व वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का गौत्र ढिलान है। उक्त आराजी मुतनाजा पर वादीगण काबिज काश्त रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है,जिससे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का कोई लेना देना व ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा। ग्राम निठारा में उनकी खातेदारी की भूमि अलग है, जिस पर वे काबिज काश्त है, जिससे वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के गोत्र व कुटुम्ब भी अलग अलग है जिसका पारिवारिक सजरा भी वादपत्र में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 के नाम जो वादीगण की कब्जे काश्त व हक की भू राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो गयी है इसीका विवाद है। प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने बदनीयति व बेईमानी पूर्वक चुपके से उक्त आराजी मुतनाजा को कोटक महिन्द्रा बैंक लि0 जयपुर से रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया, जिसकी जानकारी वादीगण को अभी 9–10 माह पूर्व किसान कार्ड बनवाने हेतु जमीन की जमाबन्दी की नकल लेने से हुई तो वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दुरूस्त करवाने बाबत कई बार कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण कहते रहे कि जमीन पर कब्जा तो वादीगण का ही है। हमने जमीन के कागजात रखकर जो कर्जा ले लिया है उसे जल्दी ही चुकता कर भूमि वादीगण के नाम करा देगें, किन्तु उन्होने अभी तक भूमि की खातेदारी दुरूस्त कराकर हमारे नाम नहीं कराई ओर अब 15 दिन पूर्व स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस जमीन की कोई खातेदारी दुरूस्त कराकर वादीगण के नाम नहीं करायेगें एव ना ही बैंक का ऋण चुकता करेंगे अपितु अन्य किसी को हस्तान्तरित कर देगें, अथवा उक्त भूमि पर से वादीगण को जबरन कब्जे से बैदखल कर कब्जा करके रहेगें। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो वादीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व परस्पर मुकदमेबाजी बढ़ेगी । अतः वादीगण को दावा दायर करना आवश्यक हुआ ओर यही विनाये दावा है।

3 दावा अन्दर मियाद है एवं निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है जो मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, जिसे सुनने व फैसल करने का अधिकार प्राप्त है। अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.13 है0, 458 रकबा 0.40 है0, 466 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 वाके मौजा निठारा तहसील शाहपुरा का वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर हमेशा हमेशा के लिए वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करने बाबत पाबन्द किया जावे साथ ही वादीगण को प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 4 से हर्जा खर्चा दिलवाया जावे अथवा अन्य आदेश दादरसी बनजदीक बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण मुनासिब हो प्रदान की जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

4 वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत अधिवक्ता ने दिनरांक 23.9.2011 को वकालतनामा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना एवं सम्मन तामिल के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 नीयत की गई किन्तु उक्त प्रतिवादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को बार बार अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर कोई जवाबदेही नहीं की गई । इस पर प्रतिवादीगणों का जवाब दावा बन्द कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नीयत की गई ।

5. वादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी सं0 1 जगदीश ने अपने स्वंय के तथा गवाह गिरधारीलाल पुत्र भैरूराम जाट व नाथूलाल पुत्र रामनाथ जाट निवासी ग्राम लेटकाबास के बयानों के शपथ–पत्र एवं अभिलेखिय साक्ष्य में नकल साबिक जमताबन्दी सं0 2020 से 2028 व 2032 प्रदर्श एक से चार, नकल मिलान क्षेत्रफल पी–5, नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 2066 पी–6, खतौनी सं पी–7 ,नकल जमाबन्दी सं0 2043 से 46 पी–8, नकल नामान्तकरण सं0 205 पी–9, नकल जमाबन्दी सं0 2032 से 2035 पी–10, नकल जमाबन्दी सं0 2047 से 2050 पी–11, नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 2066 पी–12, नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 2066 पी–13, गोदनामा की प्रति पी– 14, मृत्यु प्रमाण पत्र भूराराम पुत्र मंगलाराम जाट पी–15ए पत्रावली पर प्रस्तुत किये ।

6 प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 एवं उनके विद्वान अधिवक्ता के पत्रावली में नीयत तिथि 13.8.2021 को हाजिर अदालत नहीं आने तथा हिदायत पैरवी नहीं करने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस नीयत की गई ।

7 बहस समाअत की गई । विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत रिकार्ड शहादत को इंगित करते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की पुरजोर इस्तदुआ की ।

8. हमने बहस पर गोर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत का भली भांति अवलोकन व अध्ययन कर मनन किया । वादपत्र में वर्णित आराजीयात मे से हस्तगत प्रकरण में केवल आराजी हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.13 है0, 458 रकबा 0.40 है0, 466 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 वाके मौजा निठारा ही विवादित है। अतः हम अपना निर्णय उक्त आराजी मुतनाजा के खातेदारी अवधारणा पर ही आधारित करते है।

9. आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.13 है0, 458 रकबा 0.40 है0, 466 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 वाके मौजा निठारा की खातेदारी हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या1 से 3 नाम दर्ज है तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या–499 रहननामा 5.12.2006 के द्वारा राहिन कोटक महिन्द्रा बैंक लि0 जयपुर मूर्तहीन स्वीकार होने का अंकन है। उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी पूर्व में भूरा पुत्र मंगला जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों में से प्रमाणित है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का कथन था कि वादी संख्या 1 के दत्तक पिता वादिया सं0 2 के पति का नाम भूरा पुत्र मंगला जाट था जो उक्त आराजी मुतनाजा का अभिलिखित खातेदार काश्तकार काबिज काश्त था तथा उसके फौत होने के पश्चात वादीगण बतोर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है । दूसरी ओर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता का नाम व वल्दियत भी भूरा पुत्र मंगला था जो भी फौत हो गया । वादीगण के बुजुर्ग भूरा पुत्र मंगला जाट की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मुतनाजा का विरासत का नामान्तकरण संख्या 205 सहवन से वादीगण्के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 व उनकी माता महरूम दाखा के नाम दर्ज एवं स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में उनका नाम अंकित कर दिया जबकि उनका उक्त आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना व ताल्लुक वास्ता नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 का कुटुम्ब व गोत्र भी अलग अलग है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 ने बेईमानी एवं बदनियति पूर्वक उक्त आराजी मुतनाजा पर रहिन कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेउ जयपुर से ऋण भी प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दिया, जो गैर कानूनी है तथा वादीगण के विधिक अधिकारों के प्रति शुन्य व बेअसर है। अतः वादीगण उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदर राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने जुबानी साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये अपने व गवाहान के बयानों के शपथ पत्रों से भी अपने कथनों को साबित करवाया है। भूराराम पुत्र मंगलाराम जाट निवासी निठारा के मृत्यु प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 46 दिनांक 7.6.2001 से तथा उसके द्वारा करवाये गये पंजीबद्व गोदपत्र दिनांक 14.8.1985 से पूर्व अभिलिखित खातेदार भूरा जाट

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

पुत्र मंगलाराम जाट की दिनांक 25.5.2001 को मृत्यु होना तथा वादीगण उसके वारिसान कायम मुकामान होना प्रकट होते है। दूसरी ओर प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई जवाबदेही की गई एव ना ही वादपत्र में उल्लेखित अभिकथनों का खण्डन कर कोई रिकार्ड व शाहदत प्रस्तुत की गई है, जिससे वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं वादीगण के कथनों पर उनकी मौन सहमति होना जाहिर होती है। चूंकि उक्त आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के द्वारा रहिन महिन्द्रा कोटक बैंक जयपुर प्रतिवादी सं0 4 से ऋण प्राप्त कर रखा है, जिसके मुर्तहीन स्वीकार होने का अंकन राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वास्तवित रूप से वादीगण के द्वारा उनके बुजुर्ग की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी मुतनाजा पर कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया हैं। इसलिए उक्त आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख में मूर्तहीन दर्ज होने पर बैंक का ऋण चुकाने का भार अकारण ही वादीगण पर सौंपे जाने का हम कोई युक्तियुक्त कारण नहीं पाते है।

10 यद्यपि प्रतिवादी सं0 4 रहिन महिन्द्रा कोटक बैंक जयपुर के द्वारा भी प्रश्नागत प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर भी वास्तवित ऋणियों प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 के द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की वसूली की कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख में मूर्तहीन दर्ज होने के अंकन के स्थान पर वास्तविक ऋणियों प्रतिवादीगण सं0 1से 3 की अन्य अभिलिखित खातेदारी की भूमि को राजस्व अभिलेख में अपने नाम मुर्तहीन दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाने के लिए प्रतिवादी सं0 4 का विधि सम्मत कार्यवाही की जाने के अधिकार का विकल्प खुला रखा जाकर वादीगण वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाना हम उचित एवं न्याय संगत समझते है।

11. अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्कार कर इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.13 है0, 458 रकबा 0.40 है0, 466 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 वाके मौजा निठारा तहसील शाहपुरा की अभिलिखित खातेदारी में से प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 का नाम कलमजन करके तथा मुर्तहीन आराजी मुतनाजा को रहन फक कर रहिन प्रतिवादी सं0 4 के नाम मुर्तहीन के अंकन को मन्सूख करके उनके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहिन प्रतिवादी सं0 4 ऋणियों प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 के द्वारा लिये गये ऋण की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र रहेगें । प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेश हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे अपितु उन्हे शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे । हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 10-9-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**

वाद पत्र संख्या :– **13/2011**

उनवान

1. जगदीश पुत्र रामू दत्तक पुत्र भूरा
2. नन्छी देवी पत्नी स्व. भूरा

जाति जाट गोत्र ढिलान नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. हरनाथ पि0 भूरा जाति जाट गोत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर (फौत)
   - 1/1. कल्याण सहाय
   - 1/2. उमराव
   - 1/3. श्योदान
   - 1/4. हंसराज
   - 1/5. रामकुंवार
   - 1/6. मंजूदेवी

   } पि. हरनाथ जाट गोत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर
2. जगदीश पि0 भूरा जाति जाट गौत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर
3. रामनिवास पि0 भूरा जाति जाट गौत्र लाम्बा नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर
4. कोटक महिन्द्रा बैंक लि. जयपुर, जिला जयपुर राजस्थान
5. तहसीलदार/उपंपजीयक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. पटवारी प0ह0 घासीपुरा तह शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

7. बद्रीप्रसाद पुत्र लक्ष्मण
8. कालूराम पुत्र रामू
9. मु0 सोनी देवी धर्मपत्नि स्व0 रामू

समस्त जाति जाट गोत्र ढिलान नि. निठारा तह.शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) **तरतीबी प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर टी एक्ट</u>

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्कार कर इस आदेश के साथ डिकी किया जाता है कि आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.13 है0, 458 रकबा 0.40 है0, 466 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 वाके मौजा निठारा तहसील शाहपुरा की अभिलिखित खातेदारी में से प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 का नाम कलमजन करके तथा मुर्तहीन आराजी मुतनाजा को रहन फक कर रहिन प्रतिवादी सं0 4 के नाम मुर्तहीन के अंकन को मन्सूख करके उनके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहिन प्रतिवादी सं0 4 ऋणियों प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 के द्वारा लिये गये ऋण की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र रहेगें । प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेश हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे अपितु उन्हे शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे । हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे । तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हों ।
निर्णय आज दिनांक 10-4.202) को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (राजस्थान)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	